राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3407/2022

रोहिताश कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं पीआरसी), अपराध शाखा राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.08.2022
आदेश की दिनांक : 08.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में कानिस्टेबल (चालक) के पद पर सीआईडी सीबी, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2017 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एक अपराधिक प्रकरण एफ.आई. आर. संख्या 97/2017 पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर) में दर्ज हुआ जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 18.07.2017 के माध्यम से राजस्थान जनपद सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को तुरन्त प्रभाव से सेवा से निलम्बित कर दिया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (सतर्कता) राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 26.11.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये गये कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित किये गये पुलिस विभाग के अधीनस्थ सेवा के राजसेवकों के मामलों का प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के दिनांक 12.01.2011 के प्रावधानानुसार गठित पुनरावलोकन समिति की दिनांक 21.10.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुसार गठित समिति द्वारा पुनरावलोकन कर पुलिसकर्मियों को निलम्बन से बहाल करने की अनुशंषा की गई। जिसके अनुसरण में अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से आदेश दिनांक 01.12.2020 (अनुलग्नक–3) द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 01.12.2020 (अनुलग्नक–3) के माध्यम से निलम्बन से बहाली पर अपीलार्थी ने दिनांक 02.12.2020 (अनुलग्नक–4) द्वारा पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), सीआईडी सीबी राजस्थान, जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति दी। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण एफ.आई.आर. संख्या 97/2017 में माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बाल अधिकार अधिनियम 2005, क्रम संख्या–3, जयपुर महानगर (प्रथम) ने आदेश दिनांक 22.06.2022 द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने पर उसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें निलम्बन काल में शेष रहे वेतन भत्ते व इन्क्रीमेन्ट दिलवाये जाने का निवेदन किया। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी के निलम्बन काल में दिए गए वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य शेष रहे वेतन भत्ते जब्त राजकोष किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। अपीलाधीन आदेश राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 54 (1) व 54 (2) के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर पारित किया गया है। जबकि निलम्बन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ सेवा अवधि में मानने का आदेश दिया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.07.2022 (अनुलग्नक–1) को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी के निलम्बन काल के शेष रहे समस्त वेतन व भत्तों का पूर्ण भुगतान मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिए जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियमों में किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही कार्यालय में विचाराधीन नहीं थी। अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग संख्या 97/2017 धारा 376, 384 आई.पी.सी. पुलिस थाना, विद्याधर नगर, जयपुर उत्तर में दर्ज होने पर इनको गिरफ्तारी दिनांक 15.07.2017 को गिरफ्तार करने व 48 घण्टे से ज्यादा पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2017 के द्वारा निलम्बित किया गया। निलम्बन के 03 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार की अनुशंषा पर कार्यालय आदेश कमांक 342–48 दिनांक 01.12.2020 के द्वारा बहाल किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.06.2022 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। इस प्रकार राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 54 (1) व 54 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलार्थी का निलम्बन आदेश दिनांक 18.07.2017 पूरी तरह अनुचित नहीं था। अपीलाधीन आदेश पूर्णतः नियमानुसार उचित हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण एफ.आई.आर. संख्या 97/2017 में माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बाल अधिकार अधिनियम 2005, क्रम संख्या–3, जयपुर महानगर (प्रथम) ने आदेश दिनांक 22.06.2022 द्वारा अपीलार्थी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का अंकन आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 में उपलब्ध है। न्यायालय निर्णय की प्रति किसी भी पक्ष ने अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। उक्त निर्णय के पश्चात् अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें निलम्बन काल में शेष रहे वेतन भत्ते व इन्क्रीमेन्ट दिलवाये जाने एवं निलम्बन अवधि के नियमितीकरण का निवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा निलम्बन अवधि को सर्व प्रयोजनार्थ सेवाकाल मानते हुए अपीलार्थी के निलम्बन काल में दिए गए वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य शेष रहे वेतन भत्ते जब्त राजकोष किए गए। अपीलार्थी ने इस आदेश को चुनौती दी है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी को समक्ष न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच नहीं हुई है। जब निलम्बन अवधि को सर्वप्रयोजनार्थ सेवाकाल माना है उसदशा में निलम्बन अवधि के शेष रहे वेतन भत्तों का भुगतान नहीं करना गैर कानूनी है। अपीलार्थी इस अवधि के वेतन भत्ते प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार कर निलम्बन अवधि के वेतन भत्ते दिलाने का निवेदन किया माननीय उच्च न्यायायल में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 2113/2011 प्रभात कडावत बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 200/1997 कैलाश चन्द्र शर्मा बनाम यूनीयन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलोच्य आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन है। इस आधार पर भी आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग संख्या 97/2017 धारा 376, 384 आई.पी.सी. पुलिस थाना, विद्याधर नगर, जयपुर उत्तर में दर्ज होने पर इनको गिरफ्तारी दिनांक 15.07.2017 को गिरफ्तार करने व 48 घण्टे से ज्यादा पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2017 के द्वारा निलम्बित किया गया। निलम्बन के 03 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार की अनुशंषा पर कार्यालय आदेश दिनांक 01.12.2020 के द्वारा बहाल किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.06.2022 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। अपीलार्थी को संदेह से परे निर्दोष नहीं माना है इस कारण राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 54 (1) व 54 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलार्थी का निलम्बन आदेश

दिनांक 18.07.2017 अनुचित नहीं था। अतः जारी अपीलाधीन आदेश नियम संगत होने से अपील खारिज योग्य है।

प्रकरण में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 54 (1) एवं 54 (3) का प्रावधानों के दृष्टिगत भी परीक्षण करना उचित होगा। विधिक प्रावधान निम्नानुसार हैः–

''नियम 54 (1) पुनः स्थापित अथवा बहालगी – एक राज्य कर्मचारी जो सेवा से निष्कासित अथवा बर्खास्त कर दिया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत कर दिया गया हो या निलम्बित कर दिया गया हो किन्तु बाद में सेवा में पुनः स्थापित (बहाल) हो गया हो या वह पुनः स्थापित हो जाता यदि निलम्बन काल में भी विश्रामवृत्ति की आयु पर पहुंच जाने के कारण सेवानिवृत नहीं कर दिया जाता। ऐसी स्थिति में पुनः स्थापन की आज्ञा देने वाला सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करेगा तथा निम्न बिन्दुओं के बारे में विशिष्ट आज्ञा जारी करेगा।

(क) कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि अथवा विश्राम वृति आयु पर सेवानिवृत होने की तारीख को निलम्बन की अवधि, जैसी भी स्थिति हो से कर्मचारी को दिये जाने वाले वेतन एवं भत्तों के संबंध में।

(ख) उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जावेगी अथवा नहीं।

(2) जहां प्राधिकारी को यह स्पष्ट हो जावे कि कर्मचारी को पूर्णतया दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा उसका निलम्बन किया जाना पूर्णतया अनुचित था तो कर्मचारी उस अवधि का अपना पुराना वेतन एवं उस पर देय महगाई भत्ता आदि उसी दर पर प्राप्त करेगा जिसके अनुसार यदि वह सेवा से निलंबित, निष्कासित या अनिवार्यत सेवानिवृत नहीं किया जाता तो प्राप्त करने का अधिकारी होता।

(3) अन्य मामलों में कर्मचारी को वेतन एवं महंगाई भत्ते का ऐसा भाग दिया जावेगा जिसे प्राधिकारी आदेशों द्वारा निर्धारित करें।

(4) इस नियम के उपखण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में कर्तव्यों से अनुपस्थिति के समय को सभी कार्यो के लिए "कर्तव्य पर व्यतीत किया गया समय" के रूप में समझा जावेगा।

(5) अनुच्छेद (3) से आवृत मामले में पद से अनुपस्थिति की अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में तब तक नहीं समझा जावेगा जब तक ऐसा सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से निर्देश नहीं देवे कि वह अवधि किसी विशेष कार्य/प्रयोजन के लिए ही कर्तव्य अवधि समझी जावेगी।

[किन्तु यदि कर्मचारी ऐसा चाहे तो सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि सेवा से अनुपस्थिति की अवधि कर्मचारी के बकाया एवं स्वीकृत किये जाने योग्य किसी भी प्रकार के अवकाशों में परिवर्तित की जावेगी।]

[टिप्पणी : इस परन्तुक (प्रोविजो) के अन्तर्गत सेवा से अनुपास्थिति की अवधि को किस प्रकार समझा जाये, इस संबंध में सक्षम अधिकारी का आदेश अन्तिम रूप से मान्य होगा तथा जहां अस्थाई कर्मचारी का संबंध है, 3 माह से अधिक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिए भी अब पृथक् से सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।]

(6) उन मामलों में जहाँ दण्ड में यह उल्लेख नहीं किया गया हो कि आया निलम्बन की अवधि को पेंशन के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा अथवा नहीं गिना जाएगा, वहां निलम्बन की अवधि को पेंशन के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा। समस्त अन्य मामलों में, दण्डादेश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(7) इस नियम के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को उसकी सेवा में बहाली (रिइन्सटेटमेन्ट) पर राजकोष से किए जाने वाले भुगतान से उस धनराशि का समायोजन किया जावेगा जो एक कर्मचारी ने उसकी बर्खास्तगी निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृति की तारीख से वापिस राजकीय पद पर बहाली की तारीख के बीच की अवधि में, किसी नौकरी/नियोजन, व्यापार, व्यवसाय, परामर्श सेवा अथवा किसी व्यक्तिगत हुनर (योग्यता) के कारण अर्जित किया था/करता है। जहां उक्त प्रकार अर्जित धनराशि एक कर्मचारी को सेवा में लेने पर देय भुगतान के समान या अधिक हो तो राजकोष से उसे उस अवधि का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।''

यह कि उक्त नियम 54 (2) के प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया है तो वह कर्मचारी अपने निलम्बन की अवधि का शेष रहा वेतन व उस पर देय महंगाई भत्ता उसी दर से प्राप्त करेगा जिसके अनुसार यदि वह सेवा से निलम्बित नहीं किया जाता तो प्राप्त करने का अधिकारी होता। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा पूर्णतः दोषयुक्त नहीं किया है बल्कि संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया है। अतः अपीलाथीधीन आदेश में नियम 54 की पूर्ण पालना होना पाया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण में संदेह से परे निर्दोष नहीं माना है। उक्त तथ्यों के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि आलोच्य आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 08.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य